

निदेशालय अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड,
शहीद भगत सिंह कॉलोनी,
अधोईवाला देहरादून, टेलीफोन-0135-2780122

पत्र संख्या- 39

/ नि.अ.क./ई-24412/56 (2)वाहन /2024-25 दिनांक 6 अप्रैल, 2025

विज्ञापित

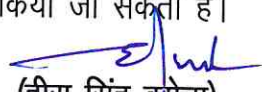
कार्यालय प्रयोग हेतु किराये के वाहनों की आपूर्ति संबंधी निविदा सूचना

निदेशालय अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून हेतु डीजल/पेट्रोल/सी.एन.जी. चालित वाहनों को मासिक/दैनिक किराये के आधार पर लेने हेतु देहरादून के अनुभवी व पंजीकृत ट्रेवल एजेंसियों/ ट्रान्सपोर्टरों से मोहरबन्द निविदा आमन्त्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र एवं अन्य शर्तें निविदा प्रपत्र में उल्लिखित है। स्पष्ट रूप से भरे गये निविदा प्रपत्र कार्यालय में स्थापित सील बन्द निविदा बाक्स में दिनांक 26.04.2025 साय: 05:00बजे तक जमा की जा सकती है। पंजीकृत डाक/डाक से प्राप्त निविदाएँ भी उक्त बाक्स में जमा की जायेगी।

1. निविदा प्रपत्र विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्शन की तिथि -16.04.2025
2. निविदा प्रपत्र पूर्ण अभिलेखों के साथ कार्यालय में जमा किये जाने की तिथि 26.04.2025(साय:05:00बजे तक) (कार्यालय में स्थापित निविदा बाक्स में)
3. निदेशालय विज्ञापन दिनांक 25 मार्च 2025 के क्रम में जिन फर्मों द्वारा आवेदन किया गया है ऐसी फर्मों द्वारा पुनः निविदा आवेदन किया जाना होगा। फर्मों को घरोहर राशि जमा किये जाने की छूट प्राप्त होगी।

प्राप्त निविदाओं को खोला जाना -28.04.2025 अथवा किसी भी कार्यदिवस में (इस संबंध में संबंधित फर्मों को सूचना वेबसाईट अथवा मोबाईल (Whatsapp No). ई-मेल आई.डी पर दी जायेगी) प्राप्त निविदाएँ समिति के सदस्यों की उपस्थिति में खोली जायेगी निविदादाता उक्त बैठक में सम्मिलित हो सकते हैं। तकनीकी निविदा के परीक्षण के उपरान्त केवल तकनीकी रूप से अर्ह पाये गये निविदादाताओं की वित्तीय निविदायें समिति द्वारा खोली जायेंगी।

5. निविदा प्रपत्र विभागीय वेबसाईट के QR Code scan कर डाउनलोड किया जा सकता है।


(हीरा सिंह बसेड़ा)
उपनिदेशक

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक यथोक्त ।

प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आनुपालनार्थ प्रेषित ।

1. सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. सम्पादक, दैनिक हिन्दुस्तान एवं पाईनियर (अंग्रेजी) को इस अनुरोध के साथ कि कृपया या उक्त निविदा सूचना को दैनिक समाचार पत्रों के देहरादून संस्करण में 7X7 (LXB) Size में डी.ए.वी. पी दरों पर नियमानुसार प्रकाशित करते हुये बिल भुगतान हेतु निदेशालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।


उपनिदेशक